गणपति सानिया नायक

बनाम

कर्नाटक सरकार

14 सितंबर, 2007

[न्यायाधिपति, एस.बी. सिन्हा व एच.एस. बेदी]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 - धारा 13(1)(घ) सपठित धारा 13(2) - अवैध संतुष्टि की मांग - अभियोजन के लिए - जाल की व्यवस्था - धन अभियुक्त के मेज से बरामद होना, शरीर से नहीं - दुश्मनी के कारण झूठा फंसाए जाने की प्रतिरक्षा - विचारणीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति - उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि - अपील, निर्णित: प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त दोषमुक्ति का अधिकारी होना।

अपीलार्थी - अभियुक्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 13(1)(घ) सपठित धारा 13(2) के दंडनीय अपराध के लिए अभियोजित किया गया। अभियोजन का मामला यह था कि अभियुक्त ग्राम लेखाकार था, जिसके द्वारा पी.ड.-06 से उत्परिवर्तन प्रविष्टियों को प्रभावी बनाने व राजस्व दस्तावेज प्रदान कराने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। पी.ड.-06 की शिकायत पर जाल की व्यवस्था की गई। पी.ड.-04 सहित दो पंचों की व्यवस्था की गई। ट्रेप पार्टी द्वारा टेबल पर फाईलों के

नीचे से नकद की बरामदगी की गई। इसके तुरंत बाद पी.ड.-06 को आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए। बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा यह रही कि पैसे गुप्त रूप से व बिना अभियुक्त की जानकारी के मेज पर रखे गए थे, क्योंकि पी.ड.-06 की अभियुक्त से दुश्मनी थी। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त किया गया कि अभियोजन रूपयों की मांग व बरामदगी को प्रमाणित करने में असफल रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया। इस कारण वर्तमान अपील संस्थित हुई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

प्रकरण में साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया मत स्पष्ट रूप से संभव प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त की प्रकरण के प्रारंभिक प्रक्रम से यह प्रतिरक्षा रही है कि उसकी पी.ड.-06 से गंभीर दुश्मनी थी तथा पी.ड.-06 द्वारा मुद्रा के नोटों को उसकी टेबल पर रखा जाना एक संभाव्य स्पष्टीकरण है। साक्ष्य में यह पाया गया है कि मौद्रिक नोट अभियुक्त द्वारा छुए नहीं गए थे तथा ना ही अभियुक्त के शरीर से बरामद हुए है। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला रहा है कि संबंधित दस्तावेजात पी.ड.-06 को मेज पर रूपए रखे जाने के तुरंत पश्चात प्रदान कर दिए गए थे। इस प्रकार यह तर्क संभाव्य प्रकट होता है कि उस समय रिश्वत की मांग

करने का कोई अवसर ही प्रकट नहीं हुआ था। दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप एक तरह से सीमित होता है, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को पलटने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं होता है।

आपराधिक अपील न्याय निर्णय: आपराधिक अपील संख्या 1218/2007

कर्नाटक उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 696/2000 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 31.03.2006 से

लक्ष्मी रमण सिंह, अपीलार्थी की ओर से।

संजय आर. हेगड़े, विक्रांत यादव, अमित कुमार चावला व रमेश एस. जाधव प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया

न्यायाधिपति हरजीत सिंह बेदी

01. अनुमति प्रदान की गई।

02. यह अपील निम्नलिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न हुई है।

03. अभियुक्त/अपीलार्थी प्रासंगित समय पर कर्नाटक राज्य के सिरसी तालुक के बिसलकोप्पा में ग्राम लेखाकार के रूप में कार्यरत था। पी.ड.-06 नागराज द्वारा कुछ कृषि भूमि श्रीमती जानकी से क्रय की गई

थी, जिसके लिए उसने अपीलार्थी से संपर्क किया व उत्परिवर्तन प्रविष्टियों में उसका नाम परिवर्तित करने व उसे अधिकारों का अपेक्षित रिकॉर्ड जारी करने का अनुरोध किया। अपीलार्थी द्वारा नागराज को कुछ दिन पश्चात आने को कहा गया व बाद में जाहिर किया गया कि उसके हक में हुए विक्रय के संदर्भ में कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त तहसीलदार द्वारा भी एक जांच की गई थी, जिसके द्वारा नागराज के हक में आदेश पारित किया गया था।

04. इस आदेश के साथ नागराज द्वारा पुनः अपीलार्थी से संपर्क किया गया तथा आवश्यक उत्परिवर्तन करने व राजस्व दस्तावेज की सत्यापित प्रति दिलाए जाने का निवेदन किया गया। उक्त कार्य के लिए अभियुक्त ने 1,000/- रूपए की मांग की तथा एंडवास पेटे 500/- रूपए की मांग की गई, जिसे बाद में घटाकर 450/- रूपए किया गया। चूंकि नागराज स्पष्ट रूप से राशि का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा उसने लोकायुक्त को संपर्क किया और पुलिस को एक लिखित शिकायत पेश की, जिस पर पी.ड.-09 पुलिस निरीक्षक शम्भुलिगप्पा द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त पुलिस अधिकारी ने कृषि सहायक निदेशक व रोजगार कार्यालय करवड़ के सहायक निदेशक को एक-एक पंच प्रतिनियुक्त करने व दिनांक 14.08.1996 सुबह 06:00 बजे रिपोर्ट करने के लिए अनुरोध किया। उक्त अधिकारीगण द्वारा दो पंच पी.ड.-04 मैलारप्पा

निलप्पा सुनकद व आर.एन. चोलवेकर को प्रतिनियुक्त किया गया। तदुपरांत पुलिस अधिकारी द्वारा दोनों पंचों को प्रकरण के घटनाक्रम के बारे में सूचित किया गया। नागराज द्वारा 100/- रूपए राशि के चार नोट व 50/- रूपए राशि का एक नोट, एम.ओ. पांच प्रस्तुत किया गया। निरीक्षक द्वारा फेनॉल्फथेलिन/सोडियम कॉर्बोनेट प्रक्रिया के बारे में पंचों को समझाया। मौद्रिक नोटों पर फेनॉल्फथेलिन पाउडर का लेप किया गया व तदुपरांत उक्त नोट पी.ड.-06 को सौंपा गया व पी.ड.-04 को निर्देश दिया गया कि वह अपीलार्थी के साथ रहेगा तथा रूपए सौंपने के उपरांत वह रेड पार्टी को संकेत देगा। उसके उपरांत पार्टी अपीलार्थी के कार्यालय के लिए रवाना हुई। अभियोजन के दोनों गवाहों ने अपीलार्थी से मुलाकात की। पी.ड.-06 अपीलार्थी के मेज के पास खड़ा हुआ तथा पी.ड.-04 कार्यालय के दरवाजे पर खड़ा हुआ। अपीलार्थी से पूछताछ करने पर पी.ड.-06 द्वारा यह जाहिर किया गया कि वह रूपए लाया है, जिस पर अपीलार्थी ने उक्त रूपयों को उससे मांगा व मेज पर रख देने के लिए कहा। फिर अपीलार्थी ने कुछ फाईलें उठाई तथा मौद्रिक नोटों पर रख दी। उसके पश्चात पी.ड.-06 बाहर आया तथा पुलिस निरीक्षक को संकेत दिया, जिस पर पी.ड.-09 आया व रूपए बरामद किए तथा पी.ड.-04 व पी.ड.-06 द्वारा उसे बताया गया कि अपीलार्थी ने रूपयों की मांग कर रूपए प्राप्त किए थे। अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त/अपीलार्थी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 13(1)(घ) सपठित धारा 13(2) के तहत दंडनीय अपराध

के लिए आरोपित किया गया।

05. विचारण न्यायालय द्वारा यह जाहिर किया गया कि अभियोजन के लिए सबसे प्रमुख प्रश्न यह स्थापित करना है कि परिवादी पी.ड.-06 से रूपया की मांग व धन की बरामदगी की गई थी। न्यायालय द्वारा यह भी जाहिर किया गया कि पी.ड.-04 व पी.ड.-06 की टेबल पर फाईलों के नीचे से नकद की बरामदगी विश्वसनीय प्रकट नहीं होती है तथा बचाव पक्ष का वर्जन अधिक संभाव्य व स्वीकार करने योग्य प्रकट होता है कि रूपए गुप्त रूप से मेज पर रखे गए थे तथा अभियुक्त/अपीलार्थी की जानकारी के बगैर रखे गए थे। विचारण न्यायालय द्वारा तदनुसार अभियुक्त को दोषमुक्त किया। तदुपरांत राज्य की ओर से उच्च न्यायालय में अपील की गई। विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिनांकित 31.03.2003 में, जो हमारे समक्ष आक्षेपित किया गया है, में यह जाहिर करते हुए कि बरामदगी के संदर्भ में नागराज के अभिवचनों को पी.ड.-04 जो एक स्वतंत्र साक्षी है, द्वारा समर्थन किया गया है तथा मात्र मौद्रिक नोटों को अपीलार्थी द्वारा नहीं छुए जाने के कारण समस्त कहानी में कोई संदेह उत्पन्न नहीं होने के आधार पर विचारण न्यायालय के दोषमुक्ति के आदेश को दरकिनार करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया व छह माह के कठोर कारावास व 20,000/- रूपए के जुर्माना से दंडित किया गया तथा जुर्माना की अदायगी के अभाव में छह माह का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया

गया। न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी का यह तर्क मानने योग्य प्रकट नहीं होता है कि रूपयों की मांग करने का कोई अवसर ही तत्समय मौजूद नहीं था, क्योंकि आवश्यक दस्तावेेज पूर्व में ही तैयार कर दिए गए थे, क्योंकि इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि धन प्राप्ति की प्रत्याशा में ही दस्तावेेज तैयार कर दिए गए हो। इन परिस्थितियों में यह मामला विशेष अनुमति के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है।

06. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा कि इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर दोहराए गए विधिक सिद्धांतों की उपेक्षा की है कि तथ्यों के संदर्भ में साक्ष्य के उचित मूल्याकन के उपरांत प्राप्त निष्कर्ष में केवल इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए कि अपीलीय न्यायालय का मत विचारण न्यायालय के मत से पृथक हो। यह इंगित किया गया है कि मौद्रिक नोटों को अपीलार्थी द्वारा छुआ नहीं गया है तथा बचाव पक्ष की इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जब अपीलार्थी अन्यथा किसी गतिविधि में व्यस्त था, तब उक्त नोट गुप्त रूप से टेबल पर रख दिए गए थे।

07. हालांकि सरकारी अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया गया है।

08. हमारे द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

हम यह पाते है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो मत लिया गया है, वह प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट रूप से संभाव्य प्रकट होता है। न्यायालय द्वारा यह जाहिर किया गया है कि बचाव पक्ष की प्रकरण के प्रारंभिक प्रक्रम से यह प्रतिरक्षा रही है कि पी.ड.-06 की अपीलार्थी से गंभीर दुश्मनी थी तथा मौदिक नोट उसके द्वारा अपीलार्थी की मेज पर रखे गए थे, एक सम्यक स्पष्टीकरण है। साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि मौद्रिक नोटों को अपीलार्थी द्वारा छुआ नहीं गया था व ना ही अपीलार्थी के शरीर से बरामद हुए थे। अभियोजन का यह भी मामला रहा है कि नागराज को संबंधित दस्तावेज धन मेज पर रखने के उपरांत तुरंत दे दिए गए थे। इस प्रकार यह तर्क भी संभाव्य प्रकट होता है कि उस समय रिश्वत की मांग करने का कोई मौका ही प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार हमारा यह मत है कि दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में जब उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप एक तरह से सीमित होता है, वहां विचारण न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करने का कोई औचित्य ही नहीं था। तद्नुसार हम इस अपील को स्वीकार करते है तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार करते हैं तथा अपीलार्थी की दोषमुक्ति का आदेश प्रदान करते हैं।

अपील स्वीकृति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपेन्द्र शेखावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण:** यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।